भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. आरजीआर 11-3(15)/67-सीडीएन   दिनांकितः 01.09.89

कार्यालय आदेश सं. 16/89

विषयः परिशिष्ट XII और XIII में पट्टे के भूमि किराए में परिशोधन किए बिना परिशिष्ट XI में पट्टे में परिवर्तन

इस कार्यालय में यह चलन रहा है कि जब भी पट्टे के पट्टेदारों ने परिशिष्ट XII और XIII में नामधारक पट्टा किया है अर्थात परिशिष्ट XI में परिवर्तन करने के अपने विकल्प का उपयोग किया है, पट्टे को परिशिष्ट XII और XIII से परिशिष्ट XI में परिवर्तित करने से पहले उल्लंघन के अस्थायी विनियमितिकरण और परिशोधित भूमि किराया प्रभार वसूली किए गए थे। पट्टाधारकों ने सरकार के इस चलन के विरोध में अभ्यावेदन दिया है। उनके अनुरोध पर इस कार्यालय से संबद्ध विधि मंत्रालय के सहायक कानूनी सलाहकार के परामर्श में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि पट्टेदार द्वारा पट्टे को परिशिष्ट XII और XIII से परिशिष्ट XI में परिवर्तित करने के विकल्प का उपयोग किए जाने पर भूमि किराए में परिशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, बंदोबस्त अधिकारी द्वारा भूमि किराए में परिशोधन किए बिना परिशिष्टि XI में पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना चाहिए।

सभी संपत्ति अनुभागों से अनुरोध है कि ऐसे मामलों को परिशिष्ट XI में पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए बंदोबस्त अधिकारी के पास भेजें।

(कृष्णा गोपाल)
जन संपर्क अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग

आर.जी.आर. अनुभाग